कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांकः–3465(I)/2147(I)/ सफाई अनु0 / न0पा0प0फ0(2025–26) दिनांकः– 22/11/2025

अल्प कालिक ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर द्वारा सूचित किया जाता है, कि राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत ई–प्रोकयोर्मेन्ट निविदाएं दिनांक–01.12.2025 से दिनांक–08.12.2025 को अपरान्ह 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर डाले जायेगे। तकनीकी निविदाएं दिनांक–09.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपरान्ह 02:00 बजे खोली जायेगी, तत्पश्चात् तकनीकी निविदा से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाए खोली जायेगी।

कार्यो का विवरण एवं नियम व शर्ते नगर पालिका परिषद की **वेबसाइट www.nppfatehpur.com तथा http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।** निविदा एवं वांछित अभिलेख स्कैन कर निविदा के साथ http://etender.up.nic.in पर अपलोड किये जाने होगे।

Rs 22/11/25

(रविन्द्र कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

22/11/025

(राजकुमार मौर्य एडवोकेट)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में प्रेषित।

1. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान, अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर निर्धारित दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
2. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. तहसीलदार सदर, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय जिला पंचायत, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

Rs 22/11/25

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

22/11/025

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर।

CamScanner

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

पत्रांकः-3465(I)/216(I)/ स्वा0 अनु0/न0पा0प0फ0 (2025-26) दिनांकः-22.11..2025

अल्प कालिक ई-निविदा सूचना –

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड में उपलब्ध धनराशि से निम्नांकित तालिका अनुसार कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु दरों के सम्बन्ध मे सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी से ई-टेण्डरिंग की बेवसाइट www.etender.up.nic.in के माध्यम से ई-निविदा दिनांक **01.12.2025** से **08.12.2025** तक आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य आई.डी.बी.आई. बैंक फतेहपुर की खाता सं0- 1060104000145473 शाखा फतेहपुर आई.एफ.एस.सी. कोड IBKL0001060 में जमा कर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा निविदा हेतु जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/ एन0एस0सी0 के रूप में जो कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर के पक्ष में बन्धक कराकर अन्य आवश्यक/वॉछित अभिलेखो के साथ अपलोड करते हुए सील बन्द लिफाफे में दिनांक **09.12.2025** को पूर्वान्ह 12.00 बजे तक नगर पालिका परिषद फतेहपुर के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि व समय उपरान्त प्राप्त सील बन्द लिफाफे स्वीकार नही होंगे। उक्त ऑनलाइन निविदा **09.12.2025** को सांय 02.00 बजे उपस्थित/अनुपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फतेहपुर में निहित होगा। विस्तृत शर्ते एवं निविदा विवरण बेवसाइट E-Tender.up.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा की शर्ते कार्यालय दिवस मे उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

01. यह स्पष्ट किया जाता है कि जितने भी कुत्तों का आपरेशन होगा उतने कुत्तों की राशि की अदायगी Govt Veternary Doctor व गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।
02. ठेकेदार वर्क आर्डर मिलने के 1 सप्ताह के अन्दर-अन्दर टेण्डर मे दी गई नियम व शर्तो के अनुरुप नगर पालिका परिषद, फतेहपुर से निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।
03. ठेके की अवधि 1 वर्ष की होगी।
04. ठेकेदार द्वारा ठेके को सबलैट नही किया जायेगा।
05. ठेकेदार द्वारा कुत्ते पकड़ने के लिए जिन कर्मचारियों को रखा जायेगा,उन्हें कुत्ते पकड़ने का अनुभव होना चाहिये।
06. वैटनरी डॉक्टर का प्रबन्ध ठेकेदार अपने स्तर पर करेगा।
07. वैटनरी डॉक्टर के पास Veterniary Council of India/State Veterniary द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
08. कुत्तें पकड़ने का साधन, एन्टी रैबिज दवाई, कुत्ते के बिमार होने पर ईलाज के समय मे प्रयोग होने वाली दवाई इत्यादि का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा स्वंय किया जायेगा।
09. कुत्तों को पकड़ते समय कोई निर्दयता नही होनी चाहिए सरकार द्वारा तथा Animal Board of India द्वारा पशुओं बार नियम व वाईलाज बनाया है उनकी पालना ठेकेदार द्वारा करनी होगी। ठेकेदार को Prevention of cruelty to Animal Act 1960 or Animal Birth Control (Dogs) Rules 2001 व 2003 मे दी गई हिदायतें की अनुपालन करना होगा। उल्लंघन के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा।
10. ठेकेदार द्वारा जिस क्षेत्र से नर व मादा कुत्तों को पकड़ा जायेगा,उसका इन्द्राज रजिस्टर मे करना होगा आप्रेशन उपरान्त कुत्तें को पकड़े गये स्थान पर वापिस छोड़ना होगा और कुत्तें के गले मे उस क्षेत्र के नाम का टैग लगा हो और वापिस छोड़ने उपरान्त टैग को हटाना होगा।

Rsi EO

क्रमशः....02

CamScanner

11. ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा, तथा ठेकेदार द्वारा जो भी वेतन दिया जायेगा, उसमे नगर पालिका परिषद, फतेहपुर की काई भूमिका नही होगी।
12. ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
13. ठेकेदार द्वारा कुत्ते पकड़ते समय आमजन के साथ किसी भी प्रकार की क्षति/दुर्घटना के प्रतिकर का वहन ठेकेदार को स्वंय करना होगा।
14. ठेकेदर के पास कुत्तों को पकड़ने के लिए खुद के औजार/साधन होने चाहिए ये औजार जाल या बोरी रस्सी होनी चाहिए जिस्से कुत्तें को कोई शारीरिक हानि न पहुँचे।
15. ठेकेदार के पास कुत्तों को पकड़ने के लिए खुद का वाहन होना चाहिए तथा वाहन के आगे नगर पालिका परिषद,फतेहपुर का बैनर लगा हो। वाहन मे कुत्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नही होनी चाहिए यानि की जाली का पूर्ण प्रबन्ध हो।
16. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर ठेका रद्द किये जाने अधिकारी अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष मे निहित होगा।
17. अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, फतेहपुर को अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी नियम/शर्तो मे संशोधन कर सकते है।
18. ठेकेदार के बिल की अदायगी Animal Husbandry के डॉक्टर व गठित की गई कमेटी के द्वारा सत्यापन करने के उपरान्त की जायेगी।
19. कुत्तों की नसबंदी के कार्य के दौरान कुत्ते के दाहिने कान पर एक मार्क का निशान लगाना होगा।
20. कुत्तों को पकड़ने के लिए एजेन्सी चिमटे व तारो का प्रयोग नही करेगी।
21. एजेन्सी द्वारा जहा पर कुत्तों को रखा जायेगा उसके आवास की क्षमता के अनुसार केवल निर्धारित संख्या मे ही कुत्तो का पकड़ा जायेगा।
22. एजेन्सी द्वारा एक समय मे केवल एक क्षेत्र से ही पकड़े गये कुत्तों को नसबंदी व टीकाकरण के लिए लाया जायेगा तथा पकड़े गये सभी कुत्तों की पहचान इलाज नियन्त्रण केन्द्र पर पहुचने के तुरन्त बाद एक नं0 वाले कॉलर से की जायेगी। यह संख्या पकड़े गये कुत्तों के रिकार्ड के अनुरुप होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कुत्ते को नसबन्दी व टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र मे छोड़ा जाये जहां से उसे पकड़ा गया था।
23. छः माह से कम उम्र वाले श्वानों/कुत्तों की नसबन्दी की जायेगी तथा पिल्लो के साथ मादा श्वानो को तब तक नसबन्दी के लिए नही पकड़ा जायेगा। जब तक उनके बच्चे दो माह के न हो जाये।
24. एजेन्सी द्वारा बीमार व घायल कुत्तों को इलाज नियन्त्रण केन्द्र मे अलग से रखना होगा ताकि उनको प्राप्त उपचार दिया जा सकें और उसके बाद ही उनकी नसबन्दी की जा सके।
25. पशु कैनल जहां कुत्तों को रख जायेगा प्रत्येक केनल के दरवाजे पर इलाके का नाम स्पष्ट रुप से लिखना होगा तथा केनल मे प्रत्येक कुत्तें के लिए कम से कम 3x4 फिट की जगह होना चाहिए और हवा के क्रास के लिए पर्याप्त वैंटीलेशन होना चाहिए तथा केनल मे उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।
26. एक ही परिवार/सामाजिक समूह के कुत्तों को एक ही केनल मे रखा जा सकता है। नर व मादा कुत्तो को अलग-अलग रखना होगा तथा कुत्तों को शल्यक्रिया से पहले 12 घण्टे तक क्वंरटाईन केनल के बिना भोजन व पानी के रखना होगा।
27. शल्यक्रिया से ठीक होने के पश्चात कुत्तों की नसबन्दी के बाद कुत्तों को कम से कम 4 दिन के लिए कैनल मे रखा जायेगा।

क्रमशः....03

CamScanner

28. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति मे अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद,फतेहपुर का निर्णय मान्य होगा।

29. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति मे मा0 न्यायालय फतेहपुर ही सक्षम प्राधिकारी होगा।

क्र0	कार्य का विवरण	निविदा मूल्य + जी0एस0टी0	धरोहर राशि	अवधि
1	नगर क्षेत्र से आवारा कुत्तों को पकड़े जाने के सबंध में। दर (प्रतिनग)	590.00	50000.00	एक वर्ष

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

प्रतिलिपि–

01. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र .... को इस आशस से प्रेषित है कि कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर निर्धारित दार पर भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
02. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. कार्यालय तहसीलदार सदर, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कार्यालय जिला पंचायत, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05. कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

CamScanner